



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,,
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/New Delhi-110016

फोन न./ Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26524580

वेबसाइट/ Website: www.kvsangathan.nic.in

ईमेल/ Email: kvshindisection@gmail.com

एफ.11025/06/13-केविस(मु.)/हि./240-269

डायरी नं/	दिनांक: 04 मार्च, 2015
Dy. No. 1014	
डाक प्राप्ति की तिथि/	
Date of receipt of	
Slak 12/3/15	

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
भोपाल

विषय: केन्द्रीय विद्यालयों को नियम 10(4) में अधिसूचित करना।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 08 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं.11011-3/2014-रा.भा.ए. (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के तहत अधिसूचित कर दिया है:-

क्र.सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम
1	केन्द्रीय विद्यालय, बंगरसिया, सी.आर.पी.एफ. बंगरसिया,भोपाल, मध्यप्रदेश - 462045 Kendriya Vidyalaya, Bangrasia, C.R.P.F.Bangrasia, Bhopal,Madhya Pradesh-462045.
2.	केन्द्रीय विद्यालय,विदिशा,गर्ल्स कॉलेज के पास, सांची रोड, विदिशा, मध्यप्रदेश - 464001 Kendriya Vidyalaya,Vidisha, Near Girls College,Sanchi Road,Vidisha, M.P.464001.
3	केन्द्रीय विद्यालय,बैतूल, पुराना सुभाष स्कूल, कोटी बाजार, बैतूल, मध्यप्रदेश - 460001 Kendriya vidyalaya,Betul, Old Subhash School,Koti Bazar, Betul, M.P. - 460001.

अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना की जानकारी अपने अधीन संबंधित विद्यालयों को विशेष रूप से और अन्य शेष को सूचना एवं आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित करते हुए इन केन्द्रीय विद्यालयों से अधिक से अधिक हिंदी में पत्राचार किया जाए। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं विद्यालय द्वारा मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना को एक स्थायी रिकार्ड के रूप में संभाल कर रखना सुनिश्चित किया जाए।

डा. मन्थुनाल

संलग्न:यथापरि।

10/3/2015

भवदीय,

(डॉ.ई.प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)

प्रतिलिपि: शेष सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सभी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त अधिसूचित केन्द्रीय विद्यालयों से अधिक से अधिक हिंदी में पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

डॉ. प्रभाकर

संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)